अनुबंध- I

इस मास्टर परिपत्र जोखिम प्रबंध और अंतर बैंक डीलिंग में समेकित परिपत्रों की सूची

क्र.सं.	परिपत्र संख्या	दिनांक
1.	ए.पी. (डीआईआर सीरीज) परिपत्र संख्या 92	4 अप्रैल 2003
2.	ए.पी. (डीआईआर सीरीज) परिपत्र संख्या 93	5 अप्रैल 2003
3.	ए.पी. (डीआईआर सीरीज) परिपत्र संख्या 98	29 अप्रैल 2003
4.	ईसी.सीओ.एफएमडी. सं.8 /02.03.75/2002-03	4 फरवरी 2003
5.	ईसी.सीओ.एफएमडी. सं.14 /02.03.75/2002-03	9 मई 2003
6.	ए.पी.(डीआईआर सीरीज) परिपत्र संख्या 108	21 जून 2003
7.	मास्टर परिपत्र सं.1	1 जुलाई 2003
8.	ए.पी.(डीआईआर सीरीज) परिपत्र संख्या 28	17 अक्टूबर 2003
9.	ए.पी.(डीआईआर सीरीज) परिपत्र संख्या 46	9 दिसंबर 2003
10.	ए.पी.(डीआईआर सीरीज) परिपत्र संख्या 47	12 दिसंबर 2003
11.	ए.पी.(डीआईआर सीरीज) परिपत्र संख्या 81	24 मार्च 2004
12.	अधिसूचना संख्या फेमा 105/2000-आरबी	21 अक्टूबर 2003
13.	ए.पी. (डीआईआर सीरीज) परिपत्र संख्या 26	1 नवंबर 2004
14.	एफई.सीओ.एफएमडी.1072/02.03.89/2004-05	8 फरवरी 2005

अनुक्रम

भाग-ए जोखिम प्रबंध

खंड I

प्राधिकृत डीलरों के अलावा अन्य निवासियों के लिए सुविधाएं:

ए.1-ए.4 वायदा संविदा

ए.5-ए.6. वायदा संविदा के अलावा अन्य संविदाएं

ए.7 अंतरराष्ट्रीय पण्य बाजारों में पण्य कीमत जोखिम की हेजिंग

ए.8 विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) के लिए सुविधाएं

ए.9 अनिवासी भारतीयों (एनआरआई) और विदेशी कॉर्पोरेट निकायों (ओसीबी) के लिए सुविधाएं

ए.10 भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की हेजिंग के लिए सुविधाएं।

खंड II

प्राधिकृत डीलरों के लिए सुविधाएं

ए.11 बैंकों की आस्ति-देयता का प्रबंधन

ए.12 स्वर्ण की कीमतों की हेजिंग

ए.13 टीयर I पूंजी की हेजिंग

भाग – बी

अनिवासी बैंकों के खाते

बी.1 सामान्य

बी.2 अनिवासी बैंकों के रुपया खाते

बी.3 अनिवासी बैंकों के खातों का निधीयन

बी.4 अन्य खातों से अंतरण

बी.5 रुपये का विदेशी मुद्राओं में रूपांतरण

बी.6 भुगतान करने और प्राप्त करने वाले बैंकों की जिम्मेदारियां

बी.7 रुपया विप्रेषण की वापसी

बी.8 विदेशी शाखाओं/ प्रतिनिधियों को ओवरड्राफ्ट/ऋण

बी.9 एक्सचेंज हाउस के रुपया खाते

भाग- सी

अंतर-बैंक विदेशी मुद्रा डीलिंग

सी.1 सामान्य

सी.2 स्थिति और अंतराल

सी.3 अंतर-बैंक लेन- देन

सी.4 विदेशी मुद्रा खाते

सी.5 ऋण/ओवरड्राफ्ट

सी.6 रिजर्व बैंक को भेजी जानेवाली रिपोर्ट

अनुबंध :

अनुबंध II

अनुबंध III

अनुबंध IV

अनुबंध V

अनुबंध VI

अनुबंध VII

अनुबंध VIII

अनुबंध IX

अनुबंध X

भाग-ए जोखिम प्रबंध

खंड I

प्राधिकृत डीलरों के अलावा अन्य निवासियों के लिए सुविधाएं:

वायदा संविदा

ए 1. भारत में निवासी व्यक्ति भारत में किसी प्राधिकृत डीलर के साथ ऐसे लेनदेन में होनेवाले विनिमय जोखिम को हेज करने के लिए वायदा संविदा कर सकता है, जिसके लिए इस अधिनियम या इसके अंतर्गत बनाए गए या जारी किए गए नियम या विनियम या निर्देश या आदेश के तहत विदेशी मुद्रा की बिक्री और/या खरीद की अनुमति दी गई है, जो निम्नलिखित निबंधन और शर्तों के अधीन है –

ए. प्राधिकृत डीलर अभिलेखी साक्ष्य के सत्यापन द्वारा अंतर्निहित एक्सपोजर की वास्तविकता के बारे में संतुष्ट हो, चाहे लेन-देन चालू खाता संबंधी हो या पूंजी खाता संबंधी। ऐसे दस्तावेजों पर संविदा का पूरा विवरण उचित अभिप्रमाणन सहित अंकित किया जाना चाहिए और इसकी प्रतियाँ सत्यापन के लिए रखी जानी चाहिए। यद्यपि, प्राधिकृत डीलर आयातकों और निर्यातकों को एक्सपोजर की घोषणा के आधार पर वायदा संविदा बुक करने की अनुमति दे सकते हैं, जो इस परिपत्र के पैरा क 2 में उल्लिखित शर्तों के अधीन है।

बी. हेज की परिपक्वता अंतर्निहित लेनदेन की परिपक्वता से अधिक नहीं है,

सी. हेज की मुद्रा और अवधि ग्राहक के चुनाव के लिए छोड़ी गई है,

डी. जहां अंतर्निहित लेन-देन की सटीक राशि निश्चित नहीं की जा सकती, वहां संविदा तार्किक अनुमान के आधार पर बुक की गई है,

ई. विदेशी मुद्रा ऋण/बांड हेज के लिए तभी पात्र होंगे जब रिजर्व बैंक द्वारा अंतिम अनुमोदन, जहां ऐसा अनुमोदन आवश्यक है, प्राप्त हो जाए अथवा रिजर्व द्वारा ऋण पहचान संख्या दे दी जाए।

एफ़. ग्लोबल डिपोजिटरी रिसीट (जीडीआर) निर्गम कीमत निश्चित कर लिए जाने के बाद हेज के लिए पात्र होंगी।

जी. एक्सचेंज अर्नर्स फॉरेन करेंसी (ईईएफसी) खातों में शेष राशि, खाताधारक द्वारा वायदा बिक्री के बाद, सुपुर्दगी के लिए निर्धारित रहेगी और ऐसी संविदा निरस्त नहीं की जाएगी। तथापि इन्हें रोल-ओवर किया जा सकता है।

एच. निवासियों के विदेशी मुद्रा एक्सपोजर के संबंध में बुक किए गए वायदा संविदा, जो एक वर्ष के भीतर देय हैं, और निर्यात लेनदेन को कवर करने के लिए बुक की गई सभी संविदाएँ निरस्त और फिर से बुक की जा सकती हैं। यह सुविधा केवल उन्हीं ग्राहकों को उपलब्ध कराई जा सकती है जो प्राधिकृत डीलरों को संलग्न प्रारूप में एक्सपोजर का विवरण प्रस्तुत करते हैं (अनुबंध - अनुबंध VI)। एक्सपोजर कवर करने के लिए की गई वायदा संविदा जो एक वर्ष के बाद देय हैं, एक बार निरस्त किए जाने के बाद फिर से बुक नहीं की जा सकती। प्राधिकृत डीलर निर्यात लेनदेन के संबंध में यह

सुविधा बिना किसी प्रतिबंध के देना जारी रख सकते हैं । सभी वायदा संविदाएँ चालू बाज़ार दर पर रोलओवर की जा सकती हैं।

आई. प्राधिकृत डीलर द्वारा व्यापार लेनदेन की हेजिंग के लिए संविदाओं के प्रतिस्थापन की अनुमति, जिन परिस्थितियों में प्रतिस्थापन आवश्यक हो गया है उनके प्रति संतुष्ट होने के बाद दी जा सकती है।

ए 2. प्राधिकृत डीलर आयातकों और निर्यातकों को एक्सपोजर की घोषणा और पिछले कार्य निष्पादन के आधार पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन वायदा संविदा करने की अनुमति दे सकते हैं:

ए. समग्र रूप से बुक की गई और किसी भी समय बकाया वायदा संविदा पिछले तीन वित्तीय वर्षों के (अप्रैल से मार्च) के औसत/ वास्तविक आयात/ निर्यात टर्नओवर या पिछले वर्ष के टर्नओवर, इनमें से जो भी अधिक हो, के आधार पर परिकलित सीमा से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। पात्र सीमा के 25% से अधिक में बुक की गई संविदाएं सुपुर्दगी आधार पर होंगी और इन्हें रद्द नहीं किया जा सकता है। । आयात/निर्यात लेनदेन के लिए इन सीमाओं की अलग-अलग गणना की जाएगी।

बी. अभिलेखी साक्ष्य प्रस्तुत किए बिना बुक की गई किसी भी वायदा संविदा को इस सीमा के प्रति मार्क ऑफ किया जाएगा।

सी. आयातकों और निर्यातकों को इस सुविधा के तहत अन्य बैंकों/ प्राधिकृत डीलरों के पास बुक की गई राशि की घोषणा प्राधिकृत डीलर को प्रस्तुत करनी चाहिए।

डी. वायदा संविदा की परिपक्वता के पहले समर्थक अभिलेखी साक्ष्य प्रस्तुत करने के संबंध में ग्राहक से वचनपत्र लिया जाए।

ई. प्राधिकृत डीलरों द्वारा घटकों की वास्तविक आवश्यकता के प्रति संतुष्ट होने पर निम्नलिखित दस्तावेजों की जांच के बाद बढ़ी हुई सीमा (50% से अधिक) की अनुमति दी जा सकती है:

i. ग्राहक के चार्टर्ड एकाउंटेंट से इस आशय का प्रमाण पत्र कि इस सुविधा का उपयोग करते समय सभी दिशानिर्देशों का पालन किया गया है।
ii. अनुबंध-VII में दिए गए प्रारूप में पिछले तीन वर्षों के दौरान ग्राहक के आयात/निर्यात टर्नओवर का प्रमाण पत्र जिसे उनके चार्टर्ड एकाउंटेंट / बैंक द्वारा विधिवत प्रमाणित किया गया हो।

एफ़. निर्यातक के मामले में, उक्त सुविधा का लाभ उठाने के लिए अतिदेय बिलों की राशि टर्नओवर के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए।

जी. प्राधिकृत व्यापारियों द्वारा अनुबंध-X में दिए गए प्रारूप में इस सुविधा के तहत उनके घटकों को दी गई और उपयोग की गई सीमाओं की मासिक रिपोर्ट (प्रत्येक माह के अंतिम शुक्रवार को) प्रस्तुत करना अपेक्षित है। यह रिपोर्ट मुख्य महाप्रबंधक, विदेशी मुद्रा विभाग, विदेशी मुद्रा बाजार प्रभाग, केंद्रीय कार्यालय, भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई-400 001को भेजी जाए।

नोट: पैरा ए.2 में निर्दिष्ट सीमाएं एक्सपोजर की घोषणा के आधार पर बुक की गई वायदा संविदाओं से संबंधित हैं। जब प्राधिकृत डीलर द्वारा अभिलेखी साक्ष्य के सत्यापन के बाद वायदा संविदा बुक की जाती है, तब ये सीमाएं लागू नहीं हैं और ऐसी संविदाओं को अंतर्निहित राशि की सीमा तक बुक किया जा सकता है।

ए 3. किसी प्राधिकृत डीलर के पास निरस्त वायदा संविदा को किसी अन्य प्राधिकृत डीलर के पास, निम्नलिखित शर्तों के अधीन, फिर से बुक किया जा सकता है:

ए. यह परिवर्तन दी जा रही प्रतिस्पर्धी दरों, प्राधिकृत डीलर जिसके साथ मूल संविदा की गई थी, उसके साथ बैंकिंग संबंध समाप्त किए जा रहे हों, आदि के कारण आवश्यक हो गया है।

बी. संविदा की परिपक्वता तिथि पर निरसन और फिर से बुकिंग साथ-साथ की जा रही है,

सी. यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी कि मूल संविदा निरस्त कर दी गई है, फिर से बुकिंग करने वाले प्राधिकृत डीलर की होगी।

ए 4. विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (इक्विटी और ऋण में) करने वाले निवासियों को ऐसे निवेशों से उत्पन्न विनिमय जोखिम को हेज करने की अनुमति है। प्राधिकृत व्यापारी ऐसे निवेशों की हेजिंग के लिए निवासी के साथ वायदा संविदा कर सकते हैं, जो एक्सपोजर के सत्यापन के अधीन होगा। विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को कवर करने वाली संविदा को सुपुर्दगी द्वारा पूरा किया जाना है या देय तिथि पर रोल ओवर किया जाना है और इसे निरस्त नहीं किया जा सकता।

यदि विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के बाजार मूल्य के संकुचन के कारण हेज आंशिक या पूर्ण रूप से प्रतिभूति रहित हो जाता है, तो हेज मूल परिपक्वता तक जारी रह सकता है। देय तिथि पर उस तिथि को बाजार मूल्य की सीमा तक रोल ओवर की अनुमति दी जाएगी ।

ए 5. प्राधिकृत डीलर निवासियों के साथ ऐसे लेनदेन के संबंध में भी वायदा संविदा कर सकते हैं जो विदेशी मुद्रा में मूल्यवर्गित हो लेकिन उसका निपटान भारतीय रुपये में हो। ये संविदाएं परिपक्वता तक धारित की जाएंगी और परिपक्वता तिथि पर संविदा को रद्द करके नकद निपटान किया जाएगा। ऐसे लेनदेन को कवर करने वाली वायदा संविदा एक बार निरस्त होने पर फिर से बुक किए जाने के लिए पात्र नहीं हैं।

वायदा संविदाओं के अलावा अन्य संविदाएं

ए 6. (i) प्राधिकृत डीलर अपने ग्राहकों के साथ बैक-टू-बैक आधार पर विदेशी मुद्रा-रुपया ऑप्शन संविदा कर सकते हैं । उन्हें रिजर्व बेंक के पूर्व अनुमोदन के अधीन ऑप्शन बुक चलाने की भी अनुमति है । वायदा संविदाओं के लिए लागू सभी दिशानिर्देश रुपया ऑप्शन संविदाओं पर भी लागू होते हैं । विस्तृत दिशानिर्देश और रिपोर्टिंग आवश्यकताएं अनुबंध VIII में दी गई हैं।

(ii) भारत में निवासी व्यक्ति जिसने विदेशी मुद्रा प्रबंध (विदेशी मुद्रा में उधार लेना और उधार देना) विनियम, 2000 के प्रावधानों के अनुसार विदेशी मुद्रा उधार ली है, अपने ऋण एक्सपोजर की हेजिंग करने और ऐसे हेज की समाप्ति के लिए भारत में किसी प्राधिकृत डीलर या प्राधिकृत डीलर की भारत के बाहर शाखा या भारत में किसी ऑफ-शोर बैंकिंग

यूनिट के साथ ब्याज दर स्वैप या मुद्रा स्वैप या कूपन स्वैप या विदेशी मुद्रा ऑप्शन या ब्याज दर कैप या कॉलर (खरीद) या फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट (एफआरए) संविदा कर सकता है, बशर्ते कि -

संविदा में रुपया शामिल नहीं है,

रिज़र्व बैंक द्वारा विदेशी मुद्रा में उधार लेने के लिए अंतिम अनुमोदन प्रदान किया गया है या ऋण पहचान संख्या जारी की गई है,

हेज की सांकेतिक मूल राशि विदेशी मुद्रा ऋण की बकाया राशि से अधिक नहीं है,

हेज की परिपक्वता अंतर्निहित ऋण की बाकी परिपक्वता से अधिक नहीं है।

इन संविदाओं को मुक्त रूप से निरस्त और फिर से बुक किया जा सकता है।

(iii) भारत में निवासी व्यक्ति जिसकी विदेशी मुद्रा या रुपये में देनदारी है, दीर्घावधि जोखिम को हेज करने के लिए भारत में प्राधिकृत डीलर के साथ निम्नलिखित निबंधन और शर्तों के अधीन विदेशी मुद्रा-रुपया स्वैप संविदा कर सकता है:

1. रुपये या उसके किसी भी रूप में समतुल्य के अग्रिम भुगतान वाले कोई स्वैप लेनदेन नहीं किए जाएंगे।

2. प्राधिकृत डीलरों द्वारा मध्यस्थ के रूप में कॉर्पोरेट प्रतिपक्षकारों की आवश्यकताओं का मिलान करके स्वैप लेनदेन किया जा सकता है।

3. यद्यपि प्राधिकृत डीलरों पर ग्राहकों को उनके विदेशी मुद्रा एक्सपोजर को हेज करने के लिए स्वैप सुविधा देने पर कोई सीमा नहीं रखी गई है, ग्राहकों द्वारा विदेशी मुद्रा की देयता, जिसके परिणामस्वरूप बाज़ार में आपूर्ति होती है, लेने के लिए स्वैप लेनदेन की सुविधा दिए जाने की सीमाएं निर्धारित की गई हैं। यद्यपि मैच किए गए लेन-देन किए जा सकते हैं, इन स्वैप के कारण बाजार में होने वाली निवल आपूर्ति के लिए यूएसडी 50 मिलियन अमरीकी डालर की सीमा रखी गई है । ग्राहक द्वारा विदेशी मुद्रा से रुपया स्वैप निरस्त करने से उत्पन्न होने वाली स्थिति को कैप के तहत शामिल करने की आवश्यकता नहीं है।

4. विदेशी मुद्रा देयता लेने के लिए ग्राहकों को स्वैप लेनदेन सुविधा देने के लिए निर्दिष्ट सीमा के संदर्भ में, स्वैप के निरसन /परिपक्वता पर और परिशोधन पर परिशोधित राशि तक सीमा को पुनर्निर्धारित कर दिया जाएगा।

5. ऐसी स्वैप संरचनाओं में, जहां प्रीमियम लागत में अंतर्निर्मित है, प्राधिकृत डीलरों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ऐसी संरचनाओं के कारण किसी प्रकार से जोखिम में वृद्धि नहीं होती है।साथ ही, ऐसी संरचनाओं के कारण ग्राहक को प्रीमियम की निवल प्राप्ति नहीं होनी चाहिए।

6. यदि उक्त लेन-देन निरस्त किया जाता है, तो उसे किसी भी नाम से फिर से बुक या दर्ज नहीं किया जाएगा।

(iv) भारत में निवासी व्यक्ति अपने व्यापार से उत्पन्न विदेशी मुद्रा एक्सपोजर को हेज करने के लिए भारत में किसी प्राधिकृत डीलर के साथ क्रॉस करेंसी ऑप्शन संविदा (जिसमें रुपया शामिल नहीं है) कर सकता है:

बशर्ते कि रेंज फॉरवर्ड, रेशियो-रेंज फॉरवर्ड या किसी और नाम से जाना जाने वाला कोई अन्य वेरिएबल जैसी किफ़ायती जोखिम कम करने की रणनीतियों के संबंध में या, प्रीमियम का निवल अंतर्वाह नहीं होगा। इन लेनदेनों को बुक और/या निरस्त किए जाने के लिए पूर्ण स्वतंत्रता हैं।

क्रॉस करेंसी ऑप्शंस को पूर्ण कवर सहित बैक-टू-बैक आधार पर लिखित होना चाहिए। कवर लेनदेन भारत के बाहर किसी बैंक, विशेष आर्थिक ज़ोन में स्थित किसी अपतटीय बैंकिंग इकाई, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त ऑप्शन एक्सचेंज या भारत में किसी अन्य प्राधिकृत डीलर के साथ किया जा सकता है।

ऑप्शन लिखत करने के इच्छुक प्राधिकृत डीलरों को इस व्यापार कार्य को प्रारम्भ करने से पूर्व, मुख्य महाप्रबंधक, विदेशी मुद्रा विभाग, (विदेशी मुद्रा बाजार प्रभाग), भारतीय रिजर्व बैंक, केंद्रीय कार्यालय, मुंबई, 400 001 एकबारगी अनुमोदन प्राप्त करना चाहिए।

स्पष्टीकरण

विदेशी मुद्रा में निविदा बोली प्रस्तुत करने से उत्पन्न आकस्मिक विदेशी मुद्रा एक्सपोजर भी इस सब-पैराग्राफ के तहत हेजिंग के लिए पात्र है।

ए 7 (i). प्राधिकृत डीलरों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कॉर्पोरेट के निदेशक मंडल ने एक जोखिम प्रबंधन नीति बनाई है, लेनदेन पूर्ण करने के लिए स्पष्ट दिशानिर्देश निर्धारित किए हैं और परिचालन की आवधिक समीक्षा तथा विनियमों का अनुपालन सत्यापित करने के लिए लेनदेन की वार्षिक लेखापरीक्षा की व्यवस्था को संस्थागत रूप दिया है। प्राधिकृत डीलरों द्वारा संबंधित कॉर्पोरेट से आवधिक समीक्षा रिपोर्ट और वार्षिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट प्राप्त की जानी चाहिए।

टिप्पणी:

जिन संविदाओं में रुपया शामिल है और जिनमें रुपया शामिल नहीं है, उन दोनों के मामले में

ए. प्राधिकृत डीलरों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि निम्नलिखित के मामले में

i. स्वैप संरचनाएं जहां प्रीमियम लागत में अंतर्निहित है

ii. साथ ही ऐसी ऑप्शन संविदाएं, जिनमें लागत कम करने की संरचनाएं शामिल हैं,

ऐसी संरचनाओं के कारण किसी भी प्रकार जोखिम में वृद्धि नहीं होनी चाहिए और न ही इसके कारण ग्राहकों को प्रीमियम की निवल प्राप्ति होनी चाहिए।

बी. प्राधिकृत डीलरों को लीवरेज्ड स्वैप संरचनाएं नहीं देनी चाहिए।

सी. प्राधिकृत डीलरों को स्वैप रूट को वहां वायदा संविदा के लिए सरोगेट बनने की अनुमति नहीं देनी चाहिए जहां फॉरवर्ड कवर की अर्हता नहीं हैं।

ए.8 (i) भारत में रहनेवाले निवासी, जो आयात और निर्यात व्यापार या समय समय पर रिज़र्व बैंक द्वारा अनुमोदित अन्य गतिविधियों में लगे हैं , वे अंतरराष्ट्रीय पण्य एक्स्चेंज / बाज़ार में सभी पण्यों के मूल्य जोखिम को हेज कर सकते हैं। पण्य बचाव के लिए आवेदन, निम्न विवरणों के साथ प्राधिकृत डीलर की सिफ़ारिश समेत उनके अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग प्रभाग के ज़रिए रिज़र्व बैंक के विचारार्थ अग्रेषित किए जा सकते हैं:

1. प्रस्तावित हेज रणनीति का संक्षिप्त विवरण, अर्थात्:-

ए) कारोबार गतिविधि का विवरण और जोखिम का प्रकार
बी) हेज के लिए उपयोग किए जानेवाले प्रस्तावित लिखत
सी) पण्य एक्स्चेंज के नाम और ब्रोकर के नाम जिनके ज़रिये जोखिम को हेज करना प्रस्तावित है तथा प्राप्त की जानेवाली उधार सुविधाएं। संबंधित राष्ट्र में विनियामक प्राधिकरण का नाम और पता भी दिया जाएं।
डी) प्रत्याशित उच्चतम स्थिति तथा परिकलन के आधार सहित एक्सपोजर का आकार / औसत अवधि और / या वर्ष में होनेवाले कुल टर्नओवर ।

2. प्रबंधन द्वारा अनुमोदित जोखिम प्रबंधन नीति की प्रति जिसमें निम्न शामिल हो:
ए) जोखिम पहचान
बी) जोखिम मापन
सी) स्थितियों के पुनर्मूल्यांकन और / या निगरानी के संबंध में पालन किए जाने वाले दिशानिर्देश एवं प्रक्रियाएं
डी) लेन-देन करने के लिए प्राधिकृत पदाधिकारियों के नाम एवं पदनाम और सीमाएं

3. अन्य कोई संबंधित सूचना।

इस गतिविधि के संचालन संबंधी दिशानिर्देश के साथ रिज़र्व बैंक द्वारा एक बारगी अनुमोदन, दिया जाएगा।

<u>विशेष आर्थिक अंचल में निकायों द्वारा पण्य बचाव</u>

(ii) 'विशेष आर्थिक kक्षेत्र ' में होने वाले निकायों के लिए, उनके निर्यात / आयात पर पण्य मूल्यों को हेज करने के लिए विदेशी पण्य एक्स्चेंज / बाज़ार में, हेज लेनदेन करने हेतु सामान्य अनुमति दी गई है, बशर्ते कि इस प्रकार की संविदा स्टेंड-अलोन आधार पर निष्पादित की गई हो।

नोट: "स्टैंड अलोन" शब्द का अर्थ है कि जहां तक आयात/निर्यात लेनदेन का संबंध है, सेज में स्थित इकाई देश में कहीं भी अथवा सेज के भीतर अपनी मूल इकाई या सहायक इकाई के वित्तीय लेनदेन से पूर्णत: अलग होती है।

विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) के लिए उपलब्ध सुविधाएं:

ए. 9 (i) एफआईआई के खाते रखने वाले प्राधिकृत डीलरों की नामित शाखाएं, इस प्रकार के ग्राहकों को फार्वर्ड कवर प्रदान कर सकते हैं जिसमें रुपए भी एक मुद्रा हो, बशर्ते कि:

1. एफआईआई किसी एक विशेष तारीख को भारत में ईक्विटी में किए गए उनके संपूर्ण निवेश और / या उनके कर्ज के बाज़ार मूल्य को हेज करने की अनुमति है। यदि यह हेज प्रतिभूतियों की बिक्री को छोड़कर अन्य कारणों के लिए पोट्फोलियो के सिकुड़ जाने के कारण आंशिक रूप से या पूर्णत: प्रतिभूति रहित हो जाता है, तो उनकी चाह के अनुसार हेज मूल परिपक्वता तक जारी रखने के लिए अनुमत किए जा सकते हैं।

2. ये वायदा संविदाएं, एक बार रद्द किए जाने पर पुन: बुक नहीं किए जा सकते बल्कि परिपक्वता अवधि तक या उससे पहले रोलओवर किए जा सकते हैं।

3. हेज की लागत प्रत्यावर्तनीय निधि और / या सामान्य बैंकिंग चैनल के ज़रिए आवक विप्रेषण से पूर्ण की जा सकती है।

4. हेज से संबंधित सभी जावक विप्रेषण लागू करों को घटाकर होंगे।

ii) कवर के लिए पात्रता एफआईआई की घोषणा के आधार पर निर्धारित की जा सकती है। वायदा कवर बकाया, अंतर्निहित एक्सपोजर द्वारा समर्थित होने को सुनिश्चित करने के लिए बाज़ार मूल्य में उतार-चढ़ाव, नए अंतर्वाह, प्रत्यावर्तित राशि और अन्य संबंधित मानकों के आधार पर समीक्षा की जाए ।

(iii) मुख्य महाप्रबंधक, भारतीय रिज़र्व बैंक, विदेशी मुद्रा विनिमय विभाग (विदेशी मुद्रा बाज़ार प्रभाग), केन्द्रीय कार्यालय, मुंबई-400 001 को एक मासिक विवरण, अगले महीने की 10 तारीख से पहले प्रस्तुत किया जाना चाहिए जिसमें एफआईआई/निधि का नाम, कवर की पात्र राशि और लिए गए वास्तविक कवर का उल्लेख हो।

अनिवासी भारतीयों (एनआरआई) और विदेशी कॉर्पोरेट निकायों (ओसीबी) के लिए सुविधाएं

ए.10 प्राधिकृत डीलर निम्नलिखित को हेज करने के लिए नीचे दिए गए दिशानिर्देशों के अनुसार अनिवासी भारतीयों/ओसीबी के साथ वायदा संविदा निष्पादित कर सकते हैं:

1. किसी भारतीय कंपनी में उनके / उसके द्वारा धारित शेयरों पर देय लाभांश की राशि।

2. विदेशी मुद्रा अनिवासी (एफसीएनआर) खाते या अनिवासी बाह्य रुपया (एनआरई) खाते में रखी शेष राशि। एक चरण के रूप में रुपये के साथ वायदा संविदा को दोनों खातों में शेष राशि के प्रति बुक किया जा सकता है। एफसीएनआर (बी) खातों में शेष राशि के संबंध में, क्रॉस करेंसी (रुपये को शामिल नहीं करते हुए) वायदा संविदा भी बुक किए जा सकते हैं ताकि शेष राशि को एक विदेशी मुद्रा जिसमें एफसीएनआर (बी) जमाराशियों को रखना अनुमत है में से किसी अन्य विदेशी मुद्रा में परिवर्तित किया जा सके।

3. विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 के प्रावधानों के अनुसार या उसके तहत जारी अधिसूचनाओं के तहत या विदेशी मुद्रा प्रबंधन (भारत के बाहर निवासी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का हस्तांतरण या निर्गम) विनियम, 2000 के प्रावधानों के अनुसार संविभाग योजना के अधीन किए गए निवेश की राशि और दोनों मामलों में उक्त पैराग्राफ ए 98 के परंतुक में निर्दिष्ट नियम और शर्तों के अधीन हो।

<u>भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की हेजिंग के लिए सुविधाएं।</u>

ए. 11 (i) प्राधिकृत डीलर 1 जनवरी 1993 से भारत में किए गए निवेशों को हेज करने के लिए भारत के बाहर के निवासियों के साथ वायदा संविदाएं निष्पादित कर सकते हैं, बशर्ते कि भारत में एक्सपोजर का सत्यापन हो।

(ii) भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश रखने वाले भारत के बाहर के निवासियों को भी, भारतीय कंपनियों में उनके निवेश पर प्राप्त लाभांश पर, मुद्रा जोखिम को हेज करने के लिए प्राधिकृत डीलरों के साथ एक मुद्रा के रूप में रुपये के साथ वायदा संविदाएं निष्पादित करने की अनुमति है।

(iii) भारत के बाहर के निवासी भी, भारत में अपने प्रस्तावित प्रत्यक्ष विदेशी निवेश से उत्पन्न होने वाले मुद्रा जोखिम को हेज करने के लिए प्राधिकृत डीलरों के साथ वायदा बिक्री संविदाएं निष्पादित कर सकते हैं। ऐसी संविदाओं को केवल यह सुनिश्चित करने के बाद ही बुक करने की अनुमति दी जा सकती है कि विदेशी संस्थाओं ने निवेश के लिए सभी आवश्यक औपचारिकताओं को पूरा कर लिया है और आवश्यक अनुमोदन (जहां कहीं लागू हो) प्राप्त कर लिया है। संविदाओं की अवधि छह माह से अधिक नहीं होनी चाहिए, उससे अधिक अवधि के लिए संविदा को जारी रखने हेतु रिज़र्व बैंक की अनुमति अपेक्षित होगी। ये संविदा, यदि रद्द कर दिए जाते हैं, तो वे उसी अंतर्वाह और के लिए फिर से बुक किए जाने के पात्र नहीं होंगे, निरसन पर विनिमय लाभ, यदि कोई हो विदेशी निवेशक को नहीं दिया जाएगा।

नोट: भारत के बाहर रहने वाले व्यक्ति के लिए अनुमत सभी विदेशी मुद्रा व्युत्पन्न संविदाएं एक बार रद्द होने के बाद, फिर से बुक किए जाने के योग्य नहीं हैं।

खंड II

<u>अधिकृत डीलरों के लिए सुविधाएं</u>

बैंक की आस्तियों-देयताओं का प्रबंधन:

ए.12 अधिकृत डीलर अपनी आस्ति-देयताएं पोर्टफोलियो के बचाव के लिए निम्नलिखित लिखतों का उपयोग कर सकते हैं:

ब्याज दर स्वैप, मुद्रा स्वैप और वायदा दर करार।

अधिकृत डीलर अपने क्रॉस करेंसी मालिकाना ट्रेडिंग पोजीशन को हेज करने के लिए कॉल या पुट ऑप्शन्स खरीद सकते हैं।

इन लिखतों का उपयोग निम्नलिखित शर्तों के अधीन है:

(ए) इस संबंध में एक उपयुक्त नीति उनके शीर्ष प्रबंधन द्वारा अनुमोदित की जाती है।
(बी) हेज का मूल्य और परिपक्वता अंतर्निहित से अधिक नहीं होना चाहिए।
(सी) कोई 'स्टैंड अलोन' लेन-देन शुरू नहीं किया जा सकता है। यदि संविभाग के सिकुड़ने के कारण कोई हेज आंशिक या पूर्ण रूप से प्रतिभूति रहित हो जाता है, तो इसे मूल परिपक्वता तक जारी रखने की अनुमति दी जा सकती है और उसे नियमित अंतराल पर बाज़ार दर पर अंकित किया जाना चाहिए।
(डी) इन लेन-देनों से उत्पन्न निवल नकदी प्रवाहों को आय और व्यय के रूप में बुक किया जाता है और जहां कहीं भी लागू होता है, विनिमय स्थिति के रूप में गणना की जाती है।

सोने की कीमतों को हेज करना

ए.13 (i) स्वर्ण जमा योजना को संचालित करने के लिए रिज़र्व बैंक द्वारा प्राधिकृत बैंक, मूल्य जोखिम का प्रबंधन करने के लिए विदेशों में उपलब्ध एक्सचेंज ट्रेडेड और ओवर-द-काउंटर हेज उत्पादों का उपयोग कर सकते हैं। हालांकि, विकल्पों से जुड़े उत्पादों का उपयोग करते समय, यह सुनिश्चित किया जाए कि प्रत्यक्ष या निहित रूप में प्रीमियम की कोई निवल

प्राप्ति न हो। बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग द्वारा जारी दिशानिर्देशों के तहत भारत में सोने की वायदा संविदाएं निष्पादित करने की अनुमति प्राप्त बैंकों को (अंतर-बैंक स्वर्ण सौदों से उत्पन्न पोज़िसन सहित) उपरोक्तानुसार विदेश में हेज करते हुए अपने मूल्य जोखिम को कवर करने की भी अनुमति है।

(ii) प्राधिकृत बैंकों को अपने घटकों (स्वर्ण उत्पादों के निर्यातकों, आभूषण विनिर्माताओं, ट्रेडिंग हाउस आदि) के साथ, सोने में अंतर्निहित बिक्री, खरीद और ऋण लेन-देन के संबंध में रिज़र्व बैंक द्वारा विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन वायदा संविदाएं निष्पादित करने की अनुमति है।

टियर 1 पूंजी की हेजिंग

ए.14 विदेशी बैंक निम्नलिखित शर्तों के अधीन भारतीय बहियों में अपने द्वारा धारित संपूर्ण टियर I पूंजी को हेज कर सकते हैं:

i) वायदा संविदा एक वर्ष या उससे अधिक की अवधि के लिए होनी चाहिए और परिपक्वता पर इसे रोल ओवर किया जा सकता है। रद्द किए गए हेज की रीबुकिंग के लिए रिज़र्व बैंक का पूर्वानुमोदन अपेक्षित है।
ii) स्थानीय विनियामक और सीआरएआर अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए भारत में पूंजीगत निधि उपलब्ध होनी चाहिए। इसलिए हेज करने से संचित होने वाली विदेशी मुद्रा निधियों को नोस्ट्रो खातों में नहीं रखा जाना चाहिए, बल्कि हर समय भारत में स्थित बैंकों के साथ स्वैप किया हुआ रखना चाहिए।
(iii) दिनांक 14 फरवरी 2002 के हमारे बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग (डीबीओडी) के परिपत्र सं. आईबीएस. बीसी.65/23.10.015/2001-02 के तहत विदेशी बैंकों को अपने प्रधान कार्यालय उधार के रूप में अपनी टियर II पूंजी को हर समय भारतीय रुपयों में स्वैप करते हुए, अधीनस्थ ऋण के रूप में हेज करने की अनुमति दी गई है।

भाग-बी

अनिवासी बैंकों के खाते

सामान्य

बी.1 (i) अनिवासी बैंक के खाते में जमा, अनिवासी लोगों को भुगतान करने का एक अनुमत तरीका है और इसलिए, विदेशी मुद्रा में हस्तांतरण पर लागू विनियमों के अधीन है।

(ii) अनिवासी बैंक के खाते में नामे करना, वास्तव में विदेशी मुद्रा में आवक विप्रेषण है।

अनिवासी बैंकों के रुपये खाते

बी.2 (i) प्राधिकृत डीलर रिज़र्व बैंक के पूर्व सूचना दिए बिना अपनी विदेशी शाखाओं या प्रतिनिधियों के नाम पर रुपया खाते (गैर-ब्याज वाले) खोल/बंद कर सकते हैं। पाकिस्तान के बाहर कार्य करने वाले पाकिस्तानी बैंकों की शाखाओं के नाम पर रुपया खाते खोलने के लिए रिज़र्व बैंक का विशिष्ट अनुमोदन लेना अपेक्षित है।

(ii) प्रत्येक प्राधिकृत डीलर के मुख्य/प्रधान कार्यालय को प्रत्येक वर्ष दिसम्बर के अंत में रिज़र्व बैंक द्वारा आबंटित कोड संख्या सहित अपने उन सभी कार्यालयों/शाखाओं की एक अद्यतन सूची (तीन प्रतियों में) प्रस्तुत करनी चाहिए, जो अनिवासी बैंकों के रुपया खाते रख रहे हैं। सूची रिज़र्व बैंक के केंद्रीय कार्यालय (केंद्रीय सांख्यिकीय प्रभाग) को अगले वर्ष की 15 जनवरी से पहले प्रस्तुत की जानी चाहिए। कार्यालयों/शाखाओं को रिज़र्व बैंक के अधिकार क्षेत्र जिनके भीतर वे स्थित हैं, के अनुसार वर्गीकृत किया जाना चाहिए ।

अनिवासी बैंकों के खातों का निधीयन

बी.3 (i) प्राधिकृत डीलर भारत में अपनी वास्तविक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अपने खातों में निधियां रखने के लिए अपने विदेशी प्रतिनिधियों /शाखाओं से चालू बाजार दरों पर स्वतंत्र रूप से विदेशी मुद्रा खरीद सकते हैं।

(ii) खातों में लेन-देनों की कड़ी निगरानी की जानी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि विदेशी बैंक रुपये के संबंध में सट्टा न लगाएं। ऐसी किसी भी घटना को रिज़र्व बैंक को सूचित किया जाना चाहिए।

नोट: निधीयन के लिए रुपये के प्रति विदेशी मुद्राओं की अग्रिम खरीद या बिक्री प्रतिबंधित है। अनिवासी बैंकों को दो-तरफ़ा कोट प्रदान करना भी प्रतिबंधित है।

अन्य खातों से अंतरण

बी.4 एक ही बैंक या विभिन्न बैंकों के खातों के बीच निधियों का अंतरण मुक्त रूप से अनुमत है।

रुपये को विदेशी मुद्राओं में परिवर्तन

बी.5 अनिवासी बैंकों के रुपये खातों में रखी शेष राशि को मुक्त रूप से विदेशी मुद्रा में परिवर्तित किया जा सकता है। ऐसे सभी लेनदेन को फॉर्म ए 2 में रिपोर्ट किया जाना चाहिए और खाते में संबंधित डेबिट संबंधित आर रिटर्न के तहत फॉर्म ए 3 में होना चाहिए।

भुगतान करने वाले और प्राप्त करने वाले बैंकों की जिम्मेदारियां

बी.6 खातों में क्रेडिट के मामले में भुगतान करने वाले बैंकर को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी विनियामक आवश्यकताओं को पूरा किया गया है और, फॉर्म ए 1/ए 2, जैसा भी मामला हो में सही ढंग से प्रस्तुत किया गया है।

रुपये में किए गए विप्रेषणों की वापसी

बी.7 आवक विप्रेषण को रद्द करने या वापस करने के अनुरोधों का अनुपालन, यह संतुष्ट करने के बाद कि प्रतिपूरक प्रकृति के लेन-देनों के कवर के रूप में धनवापसी नहीं की जा रही है, रिज़र्व बैंक को सूचित किए बिना किया जा सकता है।

विदेशी शाखाओं/संवाददाताओं को ओवरड्राफ्ट / ऋण

बी.8 (i) प्राधिकृत डीलर अपनी विदेशी शाखाओं/संवाददाताओं को सामान्य व्यावसायिक अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए ऐसी राशि के अस्थायी अधि- आहरण की अनुमति दे सकते हैं जो समग्र रूप से 500 लाख रुपये से अधिक नहीं है। यह सीमा भारत में स्थित अधिकृत डीलर की सभी शाखाओं के बही-खातों में सभी विदेशी शाखाओं और संवाददाताओं के प्रति बकाया राशि पर लागू होती है। इस सुविधा का उपयोग खातों के वित्तपोषण को स्थगित करने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। यदि उपरोक्त सीमा से अधिक ओवरड्राफ्ट को पांच दिनों के भीतर समायोजित नहीं किया जाता है, तो इसका कारण उल्लिखित करते हुए एक रिपोर्ट रिज़र्व बैंक के केंद्रीय कार्यालय (विदेशी मुद्रा बाजार प्रभाग) माह की

समाप्ति से 15 दिनों के भीतर प्रस्तुत की जानी चाहिए। यदि मूल्य डेटिंग के लिए व्यवस्था मौजूद है तो इस तरह की रिपोर्ट आवश्यक नहीं है।

(ii) विदेशी बैंकों को उपरोक्त (i) से अधिक कोई अन्य ऋण सुविधा प्रदान करने के इच्छुक प्राधिकृत डीलरों को मुख्य महाप्रबंधक, भारतीय रिजर्व बैंक, विदेशी मुद्रा विभाग (विदेशी मुद्रा बाजार प्रभाग) केंद्रीय कार्यालय, मुंबई से पूर्व अनुमोदन प्राप्त करना चाहिए।

एक्सचेंज हाउसों के रुपये खाते

बी.9 भारत में निजी विप्रेषण की सुविधा प्रदान करने के लिए एक्सचेंज हाउसों के नाम पर रुपया खाता खोलने के लिए रिज़र्व बैंक का अनुमोदन अपेक्षित है। व्यापार लेनदेन के वित्तपोषण के लिए एक्सचेंज हाउसों के माध्यम से विप्रेषण, प्रति लेनदेन 2,00.000 रुपये तक अनुमत है।

भाग-सी

अंतर-बैंक विदेशी मुद्रा लेनदेन

सामान्य

सी.1 अधिकृत डीलरों के निदेशक मंडल को विभिन्न ट्रेजरी कार्यों के लिए उपयुक्त नीति निर्धारित करने और उपयुक्त सीमाएं तय करनी चाहिए।

स्थिति और अंतराल

सी.2 एक दिवसीय खुली विनिमय स्थिति (अनुबंध II के अनुसार) और समग्र अंतराल सीमाओं को रिज़र्व बैंक द्वारा अनुमोदित किया जाना अपेक्षित है।

अंतर-बैंक लेनदेन

सी.3 अनुच्छेद C.1 और C.2 के प्रावधानों के अनुपालन के अधीन, प्राधिकृत डीलर निम्नानुसार विदेशी मुद्रा लेनदेन स्वतंत्र रूप से कर सकते हैं:

ए) भारत स्थित अधिकृत डीलरों के साथ:

(i) रुपये या किसी अन्य विदेशी मुद्रा के प्रति विदेशी मुद्रा खरीदना/बेचना/स्वैप करना
(ii) विदेशी मुद्रा में जमाराशियां रखना/स्वीकार करना और उधार लेना/उधार देना।

बी) विदेशी बैंकों और विशेष आर्थिक क्षेत्रों स्थित ऑफ-शोर बैंकिंग इकाइयों के साथ

(i) ग्राहक लेनदेन को कवर करने या अपनी स्थिति के समायोजन के लिए किसी अन्य विदेशी मुद्रा के प्रति विदेशी मुद्रा खरीदना/ बेचना / स्वैप करना,
(ii) विदेशी बाजारों में व्यापार स्थिति आरंभ करना।

नोट

ए: अनिवासी बैंकों के खातों का निधियन - पैराग्राफ बी.3 देखें

बी: अंतरबैंक बाज़ार में बिक्री के लिए फॉर्म ए 2 को पूरा करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ऐसे सभी लेनदेन आर रिटर्न में रिज़र्व बैंक को रिपोर्ट किए जाएंगे।

विदेशी मुद्रा खाते

सी. 4 (i) विदेशी मुद्रा खातों में अंतर्वाह, मुख्य रूप से ग्राहक से संबंधित लेन-देन, स्वैप सौदों, जमाओं, उधारों आदि से उत्पन्न होता है। प्राधिकृत डीलर विदेशी मुद्राओं में शेष राशि को शीर्ष प्रबंधन द्वारा अनुमोदित स्तर तक बनाए रख सकते हैं। वे रिज़र्व बैंक द्वारा अनुमोदित अंतराल सीमाओं के अनुपालन के अधीन अपनी विदेशी शाखाओं/प्रतिनिधियों के साथ एक दिवसीय प्लेसमेंट और निवेश के माध्यम से इन खातों में अधिशेष का प्रबंधन करने के लिए स्वतंत्र हैं।

(ii) प्राधिकृत डीलर अपने निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित सीमा तक विदेशी बाज़ारों में निवेश करने के लिए स्वतंत्र हैं। इस तरह का निवेश, विदेशी मुद्रा बाज़ार लिखतों और/या एक वर्ष से कम अवशिष्ट परिपक्वता वाले विदेशी राज्य द्वारा जारी ऋण लिखतों जिसे कम से कम स्टैंडर्ड एंड पुअर/फिच आईबीसीए द्वारा एए (-)या मूडीज द्वारा एए3 के रूप में रेट किया गया, में किया जा सकता है। किसी भी विदेशी राज्य के मुद्रा बाज़ार लिखतों के अलावा अन्य ऋण लिखतों में निवेश के उद्देश्य से, बैंक का निदेशक मंडल देश की रेटिंग और देश-वार सीमाएं जहां भी आवश्यक हो,अलग-अलग निर्धारित कर सकता है।

नोट: इस खंड के प्रयोजन के लिए, 'मुद्रा बाज़ार लिखत' में कोई भी ऋण लिखत शामिल होगा जिसकी परिपक्वता तक का जीवन काल, खरीद की तारीख को एक वर्ष से अधिक नहीं है।

(iii) प्राधिकृत डीलर, अप्रयुक्त एफसीएनआर (बी) निधियों को विदेशी बाज़ारों में दीर्घावधि निश्चित आय प्रतिभूतियों में भी, इस शर्त के अधीन निवेश कर सकते हैं कि निवेश की गई प्रतिभूतियों की परिपक्वता अंतर्निहित एफसीएनआर (बी) जमा की परिपक्वता से अधिक न हो।

(iv) नोस्ट्रो खातों में अधिशेष दर्शाने वाली विदेशी मुद्रा निधियों का उपयोग निम्नलिखित के लिए किया जा सकता है-

ए) निवासी संघटकों को उनकी विदेशी मुद्रा अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए या रुपया कार्यशील पूंजी / पूंजीगत व्यय आवश्यकताओं के लिए विवेकपूर्ण/ब्याज दर मानदंडों, ऋण अनुशासन और लागू ऋण निगरानी दिशानिर्देशों के अधीन ऋण प्रदान करना।

(बी) रिज़र्व बैंक (बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग) द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अधीन, विदेशों में स्थित भारतीय पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों / संयुक्त उद्यमों, जिसमें कम से कम 51% इक्विटी एक निवासी कंपनी द्वारा धारित है, को ऋण सुविधाएं प्रदान करना।

(v) प्राधिकृत डीलर, बैंकिंग प्रचालन और विकास विभाग द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों के अनुसार गैर-समायोजित डेबिट/क्रेडिट प्रविष्टियों को बट्टे खाते में डाल /दावा न किए गए शेष खातों में अंतरित कर सकते हैं।

ऋण/ओवरड्राफ्ट

सी.5 (i) प्राधिकृत डीलर अपने प्रधान कार्यालय, विदेशी शाखाओं और प्रतिनिधियों से अपनी अबाधित टियर-I पूंजी के 25% या 10 मिलियन यूएस डॉलर या इसके समकक्ष, इनमें से जो भी अधिक हो, तक ऋण/ओवरड्राफ्ट का लाभ उठा सकते हैं। इस प्रकार जुटाई गई निधियों का उपयोग भारत स्थित घटकों को विदेशी मुद्रा में उधार देने के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है और रिज़र्व बैंक को सूचित किए बिना चुकाया जा सकता है। इस नियम के अपवाद के रूप में प्राधिकृत डीलरों को दिनांक 31 जनवरी 2003 के आईईसीडी परिपत्र सं 12/04.02.02/202-03 के अनुसार निर्यातकों को विदेशी मुद्रा ऋण प्रदान करने के लिए स्वैप के माध्यम से प्राप्त विदेशी मुद्रा निधियों के साथ-साथ उधार ली गई निधियों को भी उपयोग करने की अनुमति है। उपर्युक्त सीमा भारत स्थित सभी कार्यालयों और शाखाओं द्वारा विदेशों में स्थित अपनी सभी शाखाओं / प्रतिनिधियों से ली गई सकल राशि पर लागू होती है।

(ii) प्राधिकृत डीलरों की विदेशी मुद्रा उधारों के सभी वर्ग, जिनमें मौजूदा बाह्य वाणिज्यिक उधार (n (iii) में उल्लिखित उधारों को छोड़कर) और नोस्ट्रो खातों में ओवरड्राफ्ट (पांच दिनों के भीतर समायोजित नहीं) शामिल हैं, पिछली तिमाही की समाप्ति पर उनकी अबाधित टियर I पूंजी के 25% या 10 मिलियन यूएस डालर (या इसके समकक्ष) इनमें से जो भी अधिक हो, से अधिक नहीं होगी। उपरोक्त सीमा भारत स्थित सभी कार्यालयों और शाखाओं द्वारा विदेशों में स्थित शाखाओं / प्रतिनिधियों से प्राप्त सकल राशि पर लागू होती है। यदि उपरोक्त सीमा से अधिक आहरण को पांच दिनों के भीतर समायोजित नहीं किया जाता है, तो उस महीने, जिसमें सीमा पार कर ली गई थी की समाप्ति से 15 दिनों के भीतर एक रिपोर्ट मुख्य महाप्रबंधक, भारतीय रिज़र्व बैंक, विदेशी मुद्रा विनिमय विभाग, विदेशी मुद्रा बाजार प्रभाग, अमर बिल्डिंग, फोर्ट, मुंबई 400001 को प्रस्तुत की जानी चाहिए। यदि मूल्य डेटिंग के लिए व्यवस्था मौजूद है तो इस

तरह की रिपोर्ट आवश्यक नहीं है। इस सीमा से ऊपर कोई भी नया उधार केवल रिज़र्व बैंक के पूर्व अनुमोदन के साथ ही लिया जाएगा। नए ईसीबी के लिए आवेदन वर्तमान ईसीबी नीति के अनुसार किए जाने चाहिए।

इस प्रकार जुटाई गई निधियों का उपयोग भारत स्थित घटकों को विदेशी मुद्रा में उधार देने के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है और रिज़र्व बैंक को सूचित किए बिना चुकाया जा सकता है। इस नियम के अपवाद के रूप में प्राधिकृत डीलरों को दिनांक 31 जनवरी, 2003 के आईईसीडी परिपत्र सं 12/04-02-2002-03 के अनुसार विदेशी मुद्रा ऋण प्रदान करने के लिए स्वैप के माध्यम से प्राप्त विदेशी मुद्रा निधियों के साथ-साथ उधार ली गई निधियों का उपयोग करने की अनुमति है।

(iii) निम्नलिखित उधार अबाधित टियर-I पूंजी के 25% या 10 मिलियन यूएस डालर (या इसके समकक्ष), इनमें से जो भी अधिक हो, की सीमा से बाहर बने रहेंगे:

ए. विदेशी मुद्रा में निर्यात ऋण पर दिनांक 1 जुलाई 2003 के आईईसीडी मास्टर परिपत्र में निर्धारित शर्तों के अधीन निर्यात ऋण वित्तपोषण के उद्देश्य से प्राधिकृत डीलरों द्वारा विदेशी उधार।

बी. विदेशी बैंकों के प्रधान कार्यालयों द्वारा भारत स्थित अपनी शाखाओं के साथ टियर II पूंजी के रूप में रखा गया अधीनस्थ ऋण।

(iv) ऋणों/ओवरड्राफ्टों पर ब्याज, रिज़र्व बैंक के पूर्व अनुमोदन के बिना (करों को घटाकर) विप्रेषित किया जा सकता है।

रिज़र्व बैंक को रिपोर्ट

सी.6 (i) अनुबंध III के अनुसार फॉर्म एफटीडी में विदेशी मुद्रा कारोबार और फार्म जीपीबी में अंतराल की स्थिति और नकद शेष राशि के दैनिक विवरण प्रत्येक प्राधिकृत डीलर के मुख्य / प्रधान कार्यालय द्वारा मुख्य महाप्रबंधक, विदेशी मुद्रा विभाग (विदेशी मुद्रा बाज़ार प्रभाग), भारतीय रिज़र्व बैंक, केंद्रीय कार्यालय, मुंबई को प्रस्तुत करना चाहिए। इन विवरणों को वाइड एरिया नेटवर्क (WAN) के माध्यम से ऑनलाइन प्रेषित किया जाना चाहिए।

(ii) प्रत्येक प्राधिकृत डीलर के मुख्य / प्रधान कार्यालय को पाक्षिक आधार पर सभी विदेशी मुद्राओं की अपनी होल्डिंगों का ब्यौरा देते हुए बीएएल फॉर्म की दो प्रतियों में विवरण, रिज़र्व बैंक के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय, जिसके क्षेत्राधिकार में मुख्य / प्रधान कार्यालय स्थित, को संबंधित रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति से सात कैलेंडर दिनों के भीतर प्रस्तुत करना चाहिए।

(iii) अनुबंध IV में दिए गए प्रारूप में मासिक आधार पर नोस्ट्रो/वोस्ट्रो खाता शेष राशि का विवरण प्रत्येक प्राधिकृत डीलर के मुख्य / प्रधान कार्यालय द्वारा निदेशक, अंतरराष्ट्रीय वित्त प्रभाग, आर्थिक विश्लेषण और नीति विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, केन्द्रीय कार्यालय भवन, 8 वीं मंजिल, किला, मुंबई-400 001 अग्रेषित करना चाहिए। आंकड़े, निर्धारित प्रारूप में दिए गए नंबरों / पतों पर फैक्स या ई-मेल द्वारा भी प्रेषित किया जा सकता है।

(iv) प्राधिकृत डीलर उपर्युक्त पैराग्राफ ए 5 के अधीन निवासियों द्वारा किए गए क्रॉस करेंसी डेरिवेटिव लेन-देनों पर आंकड़ों को समेकित करें और अनुबंध V में दर्शाए गए प्रारूप के अनुसार मुख्य महाप्रबंधक, विदेशी मुद्रा विभाग (विदेशी मुद्रा बाज़ार प्रभाग), भारतीय रिज़र्व बैंक, केन्द्रीय कार्यालय, मुंबई-400 001 को अर्ध-वार्षिक रिपोर्ट (जून और दिसंबर) प्रस्तुत करें ।

(v) प्राधिकृत डीलर अनुबंध VI में दर्शाए गए प्रारूप के अनुसार प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल की स्थिति के अनुसार विदेशी मुद्रा में एक्सपोजर का ब्यौरा मुख्य महाप्रबंधक, विदेशी मुद्रा विभाग (विदेशी मुद्रा बाज़ार प्रभाग) भारतीय रिज़र्व बैंक, केंद्रीय कार्यालय, मुंबई, 400 001को अग्रेषित करें ।

(vi) प्राधिकृत डीलरों को प्रत्येक माह के अंतिम शुक्रवार की स्थिति के अनुसार सभी श्रेणियों के अंतर्गत अपने कुल बकाया विदेशी मुद्रा उधारों की सूचना अनुबंध IX में संलग्न प्रारूप के अनुसार मुख्य महाप्रबंधक, विदेशी मुद्रा विनिमय विभाग (विदेशी मुद्रा बाज़ार प्रभाग), अमर भवन, केन्द्रीय कार्यालय, भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई-400 001 को रिपोर्ट करनी चाहिए। यह रिपोर्ट अगले महीने की 10 तारीख तक प्राप्त हो जानी चाहिए।

अनुबंध II

(पैराग्राफ सी.2 देखें)

प्राधिकृत डीलरों की विदेशी मुद्रा एक्सपोजर सीमाओं के लिए दिशानिर्देश

1. कवरेज

भारत में निगमित बैंकों के लिए, प्रबंधन द्वारा निर्धारित एक्सपोजर सीमा, उनकी विदेशी शाखाओं और ऑफ-शोर बैंकिंग इकाइयों सहित सभी शाखाओं के लिए सकल होनी चाहिए। विदेशी बैंकों के लिए सीमा केवल भारत स्थित उनकी शाखाओं को कवर करेगी।

2. पूंजी

पूंजी भारतीय रिज़र्व बैंक (बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग) द्वारा जारी अनुदेशों के अनुसार टियर I पूंजी को संदर्भित करता है।

3. एकल मुद्रा में निवल खुली स्थिति की गणना

खुली स्थिति को पहले प्रत्येक विदेशी मुद्रा के लिए अलग से मापा जाना चाहिए। एक मुद्रा में खुली स्थिति (a) निवल स्पॉट स्थिति, (b) निवल वायदा स्थिति और (c) निवल विकल्प स्थिति का योग है।

ए) नेट स्पॉट स्थिति

निवल स्पॉट स्थिति तुलन पत्र में विदेशी मुद्रा आस्तियों और देयताओं के बीच का अंतर है। इसमें सभी उपचित आय/व्यय शामिल होने चाहिए।

बी) नेट वायदा स्थिति

यह समाप्त किए गए विदेशी मुद्रा लेनदेन के परिणामस्वरूप भविष्य में, प्राप्त की जाने वाली सभी राशियों में से अदा की जाने वाली सभी राशियों को घटाकर मिलने वाली निवल राशि का प्रतिनिधित्व करता है। ये लेन-देन, जो बैंक के बही-खातों में ऑफ-बैलेंस शीट आइटम के रूप में दर्ज किए गए हैं, उनमें निम्नलिखित शामिल होंगे:

(i) ऐसे स्पॉट लेन-देन जिनका निपटान अभी तक नहीं हुआ है;

(ii) वायदा लेनदेन;

(iii) विदेशी मुद्राओं के मूल्य वर्ग में गारंटी और समान प्रतिबद्धताएं जिनका उपयोग निश्चित है

(iv) मुद्रा फ्यूचर्स के संबंध में प्राप्त/अदा की जाने वाली राशियों में से मुद्रा फ्यूचर्स / स्वैप पर मूलधन को घटाकर प्राप्त निवल राशि।

सी) ऑप्शन्स स्थिति

ऑप्शन्स स्थिति "डेल्टा-समकक्ष" स्पॉट मुद्रा स्थिति है जैसा कि प्राधिकृत डीलर के ऑप्शन्स जोखिम प्रबंधन प्रणाली में परिलक्षित होता है, और इसमें कोई भी डेल्टा हेज शामिल है जिसे पहले से ही 3 (ए) या 3 (बी) (आई) और (ii) के तहत शामिल नहीं किया गया है।

4. समग्र निवल खुली स्थिति की गणना

इसमें विभिन्न मुद्राओं में बैंक के अधिक्रय और अधिविक्रित स्थिति के मिश्रण में निहित जोखिमों का मापन शामिल है। "शॉर्टहैंड विधि" को अपनाने का निर्णय लिया गया है जिसे समग्र निवल खुली स्थिति के परिकलन के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार किया जाता है। इसलिए, बैंक समग्र निवल खुली स्थिति की गणना निम्नानुसार कर सकते हैं:

(i) प्रत्येक मुद्रा में निवल खुली स्थिति की गणना करते हुए (ऊपर के पैराग्राफ 3)।

(ii) सोने में निवल खुली स्थिति की गणना करते हुए।

(iii) विभिन्न मुद्राओं और सोने में निवल स्थिति को मौजूदा आरबीआई / फेडाई दिशानिर्देश के अधीन रुपये में परिवतन करते हुए।

(iv) सभी निवल अधिविकिर्त स्थिति का जोड़ करते हुए

(v) सभी निवल अधिक्रय स्थिति का जोड़ करते हुए

समग्र निवल विदेशी मुद्रा की स्थिति वो है जो कि (iv) या (v) में से अधिक है। उपरोक्तानुसार परिकलन की गई समग्र निवल विदेशी मुद्रा स्थिति को रिज़र्व बैंक द्वारा अनुमोदित सीमा के भीतर रखा जाना चाहिए।

5. पूंजी अपेक्षा

जैसा कि रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया गया है

अनुबंध III

विदेशी मुद्रा आवर्त डेटा की रिपोर्टिंग - एफटीडी और जीपीबी

{पैराग्राफ सी.6(i)} देखें}

एफटीडी और जीपीबी रिपोर्ट तैयार करने के लिए दिशानिर्देश और प्रारूप नीचे दिए गए हैं। प्राधिकृत डीलर यह सुनिश्चित करें कि रिपोर्टें इन दिशानिर्देशों के आधार पर सही तरीके से संकलित की गई हैं: किसी विशेष तिथि के लिए आंकड़े हमें अगले कार्य दिवस के कारोबार की समाप्ति तक पहुँचने चाहिए।

एफटीडी

1. स्पॉट - कैश और टॉम लेनदेनों को 'स्पॉट' लेनदेन के तहत शामिल किया जाना है।

2. स्वैप – स्वैप लेनदेन के तहत प्राधिकृत डीलरों के बीच के केवल विदेशी मुद्रा स्वैप की सूचना दी जानी चाहिए। लॉन्ग टर्म स्वैप (क्रॉस करेंसी और विदेशी मुद्रा-रुपया स्वैप दोनों) को इस रिपोर्ट में शामिल नहीं किया जाना चाहिए। स्वैप लेनदेन को केवल एक ही बार रिपोर्ट करना चाहिए और इसे 'स्पॉट' या 'फॉरवर्ड' लेनदेन के तहत शामिल नहीं किया जाना चाहिए। खरीद/ बिक्री स्वैप को 'खरीद' पक्ष में 'स्वैप' के अधीन शामिल किया जाना चाहिए जबकि बिक्री/खरीद स्वैप को 'बिक्री' पक्ष पर रखा जाना चाहिए।

3. वायदा रद्द करना - व्यापारियों से खरीद के प्रति वायदा संविदाओं को रद्द करने के संबंध में रिपोर्ट की जाने वाली राशि, प्राधिकृत डीलरों द्वारा रद्द किए गए वायदा व्यापारी बिक्री संविदाओं (बाज़ार में आपूर्ति को जोड़ते हुए) का सकल योग होना चाहिए। रद्द किए गए वायदा संविदाओं की बिक्री पक्ष पर, रद्द किए गए वायदा खरीद संविदाओं के सकल को इंगित किया जाना चाहिए (बाज़ार में मांग को जोड़ते हुए)।

4 'एफसीवाई/एफसीवाई' लेनदेन-लेनदेन के दोनों चरणों को संबंधित कॉलम में रिपोर्ट करनी चाहिए। उदाहरण के लिए यूरो / यूएसडी खरीद संविदा में, यूरो राशि को खरीद पक्ष में शामिल किया जाना चाहिए जबकि यूएसडी राशि को बिक्री पक्ष में शामिल किया जाना चाहिए।

5. आरबीआई के साथ लेनदेन को अंतर-बैंक लेनदेन में शामिल करना चाहिए। विदेशी मुद्रा में सौदा करने के लिए प्राधिकृत बैंकों को छोड़कर अन्य वित्तीय संस्थानओं के साथ हुए लेनदेन को व्यापारी लेनदेन के तहत शामिल करना चाहिए।

जीपीबी

1. विदेशी मुद्रा शेष -: सभी विदेशी मुद्राओं में नकद शेष और निवेश को यूएस डॉलर में परिवर्तित किया जाना चाहिए और इस मद के तहत रिपोर्ट करना चाहिए।

2. नेट ओपन एक्सचेंज पोजीशन - इससे करोड़ रुपये में अधिकृत डीलर की समग्र ओवरनाइट नेट ओपन एक्सचेंज स्थिति का संकेत मिलना चाहिए। नेट ओवरनाइट ओपन पोजीशन की गणना, ऊपर उल्लिखित मास्टर परिपत्र के अनुबंध II में दिए गए अनुदेशों के आधार पर की जानी चाहिए।

3. उपर्युक्त एफसीवाई/आईएनआर में से - रिपोर्ट की जाने वाली राशि रुपये की तुलना में दी गई स्थिति है- यानी नेट ओवरनाइट ओपन एक्स्चेंज पोजिशन से क्रॉस करेंसी स्थिति, यदि कोई हो को घटाते हुए।

एफटीडी और जीपीबी विवरणों के प्रारूप

एफटीडी

<u>विदेशी मुद्रा के दैनिक कारोबार को दर्शाने वाला विवरण</u>

		व्यापारी			अंतर बैंक		
		स्पॉट, कैश, रैडी, टीटी आदि	फॉरवर्ड	फॉरवर्ड्स रद्द करना	स्पॉट	स्वैप	फॉरवर्ड
एफसी वाई/आईएनआर	से खरीद						
	को बिक्री						
एफसी वाई/ एफसीवाई	से खरीद						
	को बिक्री						

<u>जीपीबी</u>

<u>अंतराल, स्थिति और नकदी शेष को दर्शाने वाला विवरण</u>

विदेशी मुद्रा शेष :मिलियन अमेरिकी

डॉलर में (नकदी शेष + सभी निवेश)

नेट ओपन एक्सचेंज स्थिति (रु.) : O/B (+)/O/S (-)

IN Rs.CRORE उपरोक्त एफसीवाई/आईएनआर में से

: रु. करोड़ में

एजीएल का रखरखाव : वीएआर बनाए रखा गया:

मिलियन में अमेरिकी डॉलर परिपक्वता बेमेल

1 माह	2 माह	3 माह	4 माह	5 माह	6 माह	>6 माह

अनुबंध IV

[पैराग्राफ सी 6 (iii) देखें]

माह के लिए नोस्ट्रो/वोस्ट्रो शेष राशि का विवरण

प्राधिकृत डीलर का नाम और पता

क्र.सं.	मुद्रा	नोस्ट्रो खाते में निवल शेष राशि	वोस्ट्रो खाते में निवल शेष राशि।	
1	अमेरिकी डॉलर			
2	यूरो			
3	जापानी येन			
4	ग्रेड ब्रिटेन पाउंड			
5	रुपया			
6	अन्य मुद्राएं (मिलियन अमेरिकी डॉलर में)			

नोट: यदि ऊपर दिए गए प्रत्येक मद (1 से 5 पर दिया गया) में भिन्नता एक महीने में 10% से अधिक है, तो कारण संक्षेप में, फुटनोट के रूप में दिया जाए ।

उपरोक्त कथन निम्नलिखित को संबोधित किया जाए:

निदेशक
अंतरराष्ट्रीय वित्त प्रभाग
आर्थिक विश्लेषण और नीति विभाग
भारतीय रिजर्व बैंक,
केंद्रीय कार्यालय भवन, 8वीं
मंजिल, मुंबई – 400 001.
फ़ोन: 022-2266 3791
फैक्स: 022-2262 2993, 2266 0792
ई-मेल: rkpattnaik@rbi.org.in
brijeshp@rbi.org.in

अनुबंध V

[पैराग्राफ सी.6 (iv) देखें]

क्रॉस-करेंसी डेरिवेटिव लेनदेन -------- को समाप्त छमाही के लिए
विवरण....

उत्पाद	लेन-देन की संख्या	अमेरिकी डॉलर में नोशनल मूल राशि
ब्याज दररस्वैप		
मुद्रा स्वैप		
कूपन स्वैप		
विदेशी मुद्रा ऑप्शन विकल्प		
ब्याज दर कैप्स या कॉलर (खरीद)		
वायदा दर करार		
रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर अनुमत कोई अन्य उत्पाद		

अनुबंध VI

1 अप्रैल की स्थिति के अनुसार विदेशी मुद्रा में एक्सपोजर से

संबंधित सूचना कंपनी का नाम:

		मिलियन अमरीकी डालर के बराबर राशि	कॉलम (1) की पहले से हेज राशि
		(1)	(2)
i)	वर्ष के भीतर देय आयात लेनदेन	@	£
ii)	एक साल के भीतर देय होनेवाले गैर-व्यापार भुगतान	£	£
iii)	एक साल से अधिक समय के बाद देय होनेवाले गैर-व्यापार भुगतान	£	£

नोटः

प्राधिकृत डीलर उपर्युक्त आंकड़ों को व्यक्तिगत कॉर्पोरेट के संबंध में पूरे बैंक के लिए समेकित करें और मुख्य महाप्रबंधक,विदेशी मुद्रा विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, केंद्रीय कार्यालय, विदेशी मुद्रा बाजार प्रभाग, मुंबई-400001 (मुख्य महाप्रबंधक, बाह्य निवेश और परिचालन विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, केंद्रीय कार्यालय, आंकड़ा कक्ष, मुंबई-400001 को प्रति) प्रत्येक वर्ष 30 जून से पहले अग्रेषित करें।

@ बाद में बड़े परिवर्तनों, यदि कोई हो, को विधिवत रूप से ध्यान में रखते हुए पिछले तीन वर्षों के औसत के आधार पर गणना की गई है

£ वास्तविक के आधार पर।

अनुबंध VII

आयात/निर्यात कारोबार, अतिदेय इत्यादि का ब्यौरा देने वाला विवरण

घटक का नाम: _____

(मिलियन अमरीकी डालर में राशि)

वित्तीय वर्ष (अप्रैल-मार्च)	टर्नओवर		टर्नओवर में अतिदेय बिलों का प्रतिशत		पिछले प्रदर्शन के आधार पर फॉरवर्ड कवर की बुकिंग की मौजूदा सीमा	
	निर्यात	आयात	निर्यात	आयात	निर्यात	आयात
20032-043						
20021-023						
20010-021						

अनुबंध VIII

विदेशी मुद्रा - रुपी ऑप्शन

प्राधिकृत डीलरों को निम्नलिखित नियमों और शर्तों के तहत विदेशी मुद्रा – रुपी ऑप्शन प्रदान करने की अनुमति है:

ए(जिनके पास 9 प्रतिशत का न्यूनतम सीआरएआर है वे प्राधिकृत डीलर बैक-टू-बैक आधार पर इस उत्पाद की पेशकश कर सकते हैं ।

बी) पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण, जोखिम निगरानी / प्रबंधन प्रणाली बाजार दर पर अंकन तंत्र और निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करने वाले प्राधिकृत डीलर को रिज़र्व बैंक से एक बार अनुमोदन प्राप्त करने के बाद एक ऑप्शन बुक चलाने की अनुमति दी जाएगी:

i. कम से कम तीन वर्षों के लिए निरंतर लाभप्रदता
ii. न्यूनतम सीआरएआर 9 प्रतिशत
iii. उचित स्तर पर निवल एनपीए (निवल अग्रिमों के 5 प्रतिशत से अधिक नहीं)
iv. न्यूनतम नेटवर्थ 200 करोड़ रुपये से कम नहीं

सी) वर्तमान के लिए, प्राधिकृत डीलर केवल प्लेन वनिला यूरोपीय ऑप्शन की पेशकश कर सकते हैं।

डी) i. ग्राहक कॉल या पुट ऑप्शन खरीद सकते हैं।

ii. ग्राहक लागत को कम करने वाली संरचनाओं से जुड़े पैकेज्ड उत्पादो ले सकते हैं, बशर्ते संरचना अंतर्निहित जोखिम को न बढ़ाए और इससे ग्राहकों को प्रीमियम प्राप्त न हों।

iii. ग्राहकों द्वारा ऑप्श्न राइटिंग (option writing) की अनुमति नहीं है।

ई) उत्पाद का उपयोग करने में रुचि रखने वाले ग्राहकों से प्राधिकृत डीलर एक घोषणा पत्र प्राप्त करेंगे कि उन्होंने उत्पाद की प्रकृति और इसके अंतर्निहित जोखिमों को स्पष्ट रूप से समझ लिया है।

एफ़) प्राधिकृत डीलर विकल्प प्रीमियम को रुपये में या रुपये/विदेशी मुद्रा के कल्पित मूल्य के प्रतिशत के रूप में उद्धृत कर सकते हैं।

जी) विकल्प संविदाओं का निपटान परिपक्वता पर या तो स्पॉट आधार पर सुपुर्दगी द्वारा अथवा संविदा में विनिर्दिष्ट रूप में हाजिर आधार पर रुपये में निवल नकद निपटान द्वारा किया जा सकता है। परिपक्वता से पहले लेनदेन को बंद करने के मामले में, संविदा का एक समान ऑफसेटिंग विकल्प के बाजार मूल्य के आधार पर नकद निपटान किया जा सकता है।

एच) यदा संविदाओं की बुकिंग, रोल ओवर और रद्द करने के लिए लागू सभी शर्तें ऑप्शन संविदाओं पर भी लागू होंगी। पिछले निष्पादन के आधार पर वायदा संविदाओं की बुकिंग के लिए उपलब्ध सीमा में ऑप्शन लेनदेन शामिल होंगे। जैसा कि वायदा संविदाओं के मामले में किया जाता है, उसी प्रकार रिज़र्व बैंक को किए गए आवेदन पर मामला-दर-मामला आधार पर उच्च सीमाओं की अनुमति दी जाएगी।

आई) एक निश्चित समय अवधि के लिए किसी विशेष एक्सपोजर/उसके हिस्से के प्रतिकेवल एक हेज लेनदेन

बुक किया जा सकता है।

जे) ऑप्शन संविदाओं का उपयोग आकस्मिक या व्युत्पन्न एक्सपोजर को हेज करने के लिए नहीं किया जा सकता है (विदेशी मुद्रा में निविदा जमा करने से उत्पन्न एक्सपोजर को छोड़कर)।

2. उपयोगकर्ता

ए)जिन ग्राहकों के पास 3 मई, 2000 की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना सं. फेमा 25/2000-आरबी की अनुसूची I और II के अनुसार वास्तविक विदेशी मुद्रा एक्सपोजर है, वे ऑप्शन संविदा करने के पात्र हैं।

बी) अधिकृत डीलर ट्रेडिंग बुक और बैलेंस शीट एक्सपोजर की हेजिंग करने के उद्देश्य से उत्पाद का उपयोग कर सकते हैं।

3. जोखिम प्रबंधन और विनियामक मुद्दे

ए) ऑप्शन बुक चलाने और बाजार निर्माताओं के रूप में कार्य करने के इच्छुक प्राधिकृत डीलर सक्षम प्राधिकारी (बोर्ड/जोखिम समिति/एएलसीओ) के अनुमोदन की एक प्रति और इस संबंध में प्रस्तुत विस्तृत ज्ञापन की एक प्रति के साथ मुख्य महाप्रबंधक, भारतीय रिजर्व बैंक, विदेशी मुद्रा विभाग, विदेशी मुद्रा बाजार प्रभाग, केंद्रीय कार्यालय, फोर्ट, मुंबई-400001 पर आवेदन कर सकते हैं। प्राधिकृत डीलर जो बैक-टू-बैक आधार पर उत्पाद का उपयोग करना चाहते हैं, वे इस संबंध में उपर्युक्त प्रभाग को सूचित करें।

बी) बाजार निर्माताओं को स्पॉट मार्केट एक्सेस करके अपने ऑप्शन पोर्टफोलियो के 'डेल्टा' को हेज करने की अनुमति दी जाएगी। अन्य 'ग्रीक्स' को अंतर-बैंक बाजार में ऑप्शन लेनदेन करके हेज किया जा सकता है। ऑप्शन संविदा का 'डेल्टा' एक दिवसीय खुली स्थिति का हिस्सा होगा। जहां तक 'एजीएल' के प्रयोजनार्थ ऑप्शन संविदाओं को शामिल करने का संबंध है, प्रत्येक परिपक्वता के अंत में 'डेल्टा समतुल्य' को ध्यान में रखा जाएगा। प्रत्येक बकाया ऑप्शन संविदाओं की अवशिष्ट परिपक्वता (जीवन) को विभिन्न परिपक्वता समूहों के तहत समूहीकरण के उद्देश्य से आधार माना जाएगा। (ऑप्शन संविदाओं से संबंधित विभिन्न 'ग्रीक्स' की परिभाषा के लिए, कृपया विदेशी मुद्रा-रुपया ऑप्शन पर आरबीआई तकनीकी समिति की रिपोर्ट देखें)।

सी) फिलहाल अधिकृत डीलरों से अपेक्षा की जाती है कि वे रिजर्व बैंक द्वारा पहले से स्वीकृत जोखिम प्रबंधन सीमा के भीतर ऑप्शन पोर्टफोलियो का प्रबंधन करें।

डी) ऑप्शन बुक चलाने वाले प्राधिकृत डीलरों को विदेशी मुद्रा-रुपया ऑप्शन में बाजार निर्माण से उत्पन्न होने वाले जोखिमों को कवर करने के लिए सादा वेनिला क्रॉस करेंसीऑप्शन स्थितियों को शुरू करने की अनुमति है ।

ई) बैंकों को दैनिक आधार पर पोर्टफोलियो के बाजार दर पर अंकन के लिए आवश्यक प्रणालियां स्थापित करनी चाहिए। फईडीएआई दैनिक रूप से निहित अस्थिरता अनुमानों का एक मैट्रिक्स प्रकाशित करेगा, जिसका उपयोग बाजार प्रतिभागी अपने पोर्टफोलियो को बाजार दर पर अंकित करने के लिए कर सकते हैं।

4. रिपोर्टिंग

अधिकृत डीलरों को संलग्न प्रारूपों के अनुसार किए गए लेनदेन की साप्ताहिक आधार पर रिज़र्व बैंक को रिपोर्ट करना आवश्यक है।

5. **लेखांकन**

ऑप्शन संविदाओं के लिए लेखांकन ढांचा फेडाई परिपत्र सं.एसपीएल-24/एफसी-रुपया विकल्प/2003 दिनांक 29 मई, 2003 के अनुसार होगा।

6. **प्रलेखन**

बाजार प्रतिभागी केवल ISDA दस्तावेज़ीकरण का पालन कर सकते हैं।

7. **पूंजी आवश्यकताएं**

पूंजी आवश्यकताएं समय-समय पर हमारे बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग (डीबीओडी) द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार होंगी।

8. बैंकों को अपने कर्मचारियों को पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित करना चाहिए और उन्हें ऑप्शन लेनदेन करने से पहले आवश्यक जोखिम प्रबंधन प्रणाली स्थापित करनी चाहिए। उन्हें अपने घटकों को उत्पाद के बारे में परिचित कराने के लिए भी कदम उठाने चाहिए।

आरबीआई को प्रस्तुत की जाने वाली रिपोर्ट:

I. **.....को समाप्त सप्ताह के लिए ऑप्शन लेनदेन रिपोर्ट**

क्र.सं.	कारोबार की तारीख	ग्राहक/सी-पार्टी का नाम	परिकल्पित	ऑप्शन कॉल/ पुट	स्ट्राइक	परिपक्वता	प्रीमियम	प्रयोजन *

*बैलेंस शीट, ट्रेडिंग या क्लाइंट से संबंधित जानकारी का उल्लेख करें।

II. **ऑप्शन पॉजिशन रिपोर्ट**

मुद्रा जोड़ा	परिकल्पित बकाया		निवल पोर्टफोलियो डेल्टा	निवल पोर्टफोलियो गामा	निवल पोर्टफोलियो वेगा
	कॉल	पुट			
यूएसडी-आईएनआर	यूएसडी	यूएसडी	यूएसडी		
यूरो-आईएनआर	यूरो	यूरो	यूरो		
जापानी येन-आईएनआर	जापानी येन	जापानी येन	जापानी येन		

(इसी तरह अन्य मुद्रा जोड़े के लिए)

कुल नेट ओपन ऑप्शन पॉजिशन (INR):

कुल निवल ओपन ऑप्शन पॉजिशन 4 अप्रैल, 2003 के एपी डीआईआर 92 में निर्धारित पद्धति का उपयोग करके प्राप्त की जा सकती है।

III. पोर्टफोलियो डेल्टा रिपोर्ट में बदलाव

INR के संदर्भ में स्पॉट में 0.25% परिवर्तन के लिए USD-INR डेल्टा में परिवर्तन ($-प्रिसिएशन) में =
INR के संदर्भ में स्पॉट में 0.25% परिवर्तन के लिए USD-INR डेल्टा में परिवर्तन ($-मूल्यह्रास) में =

इसी तरह, डेल्टा में परिवर्तन के लिए अन्य मुद्रा जोड़े, जैसे कि EUR-INR, JPY-INR आदि के लिए INR के संदर्भ में स्पॉट में 0.25% परिवर्तन (FCY मूल्यवृद्धि और मूल्यह्रास अलग से)।

IV. स्ट्राइक कॉन्स्ट्रेशन रिपोर्ट

	परिपक्वता बकेट					
स्ट्राइक मूल्य	1 सप्ताह	2 सप्ताह	1 महीना	2 महीने	3 महीने	> 3 महीने
<45.00						
45.00-45.25						
45.26-45.50						
45.51-45.75						
45.76-46.00						
46.01-46.25						
46.26-46.50						
46.51-46.75						
46.76-47.00						
47.01-47.25						
47.26-47.50						
47.51-47.75						
47.76-48.00						
>48.00						

इस रिपोर्ट को वर्तमान स्पॉट स्तर के आसपास 150 पैसे की सीमा के लिए तैयार किया जाना चाहिए। संचयी पद दिए जाने चाहिए।

सभी राशि मिलियन अमरीकी डालर में। जब बैंक के पास ऑप्शन होता है, तो राशि को धनात्मक रूप में दिखाया जाना चाहिए। जब बैंक ने कोई ऑप्शन बेचा है, तो राशि को ऋणात्मक रूप में दिखाया जाना चाहिए।

सभी रिपोर्ट बाजार निर्माताओं द्वारा fecofmd@rbi.org.in को ई-मेल के माध्यम से भेजी जा सकती हैं। रिपोर्ट हर शुक्रवार की तिथि के अनुसार तैयार की जाए और अगले सोमवार तक भेजी जाए।

अनुबंध IX

विदेशी विदेशी मुद्रा उधार - रिपोर्ट

(मिलियन अमेरिकी डॉलर)

बैंक				बाह्य वाणिज्यिक उधार		
(SWIFT code)	पिछली तिमाही..... .... के अंत में अक्षुण्ण टियर -1 पूंजी.	1 जुलाई, 2004 को जोखिम प्रबंधन और अंतर-बैंक लेन-देन पर मास्टर परिपत्र के पैरा सी. 5 (i) के संदर्भ में उधार	रुपया संसाधनों की पुनःपूर्ति के लिए उपर्युक्त सीमा से अधिक के लिए उधार (पैरा C.5 (ii) 2*		विदेशी मुद्रा में निर्यात क्रेडिट पर 1 जुलाई 2003 के आईईसीडी मास्टर परिपत्र और 3 मई 2000 की अधिसूचना सं फेमा 3/2000-आरबी 2004 के विनियम 42(iv) के अनुसार निम्नलिखित योजना के अंतर्गत उधार	
					(a) विदेशी मुद्रा में प्री-शिपमेंट क्रेडिट (पीसीएफसी) प्रदान करने के लिए क्रेडिट लाइन	(b) बैंकर स्वीकृति सुविधा (बीएएफ)/ विदेशों में निर्यात बिल पुनर्भुनाई योजना (ईबीआर) प्रदान करने के लिए विदेशों से ऋण
	A	1	2	3	4a	4b

टीयर-II पूंजी में शामिल करने केलिए विदेशी मुद्रा में अधीनस्थ ऋण	अन्य श्रेणी	का योग (1+2+3+6)	का योग (1+2+3+4+6)	श्रेणी (1+2+3+6) के अंतर्गत उधार जिसे ए पर टीयर-I पूंजी के प्रतिशत के रूप में दिखाया गया है	श्रेणी (1+2+3+4+6) के अंतर्गत उधार जिसे ए पर टीयर-I पूंजी के प्रतिशत के रूप में दिखाया गया है

	(इस कोष्ठक में विनिर्दिष्ट करें)				
5	6	7	8	9	10

नोट:

1. रिपोर्ट की तारीख पर आरबीआई संदर्भ दर और न्यूयॉर्क बंद दरों का उपयोग रूपांतरण उद्देश्य के लिए किया जाए।

2. 24 मार्च, 2004 के एपी (डीआईआर सीरीज) परिपत्र संख्या 81 के पैरा 4 द्वारा सुविधा वापस ली गई।

अनुबंध X

पिछले कार्यनिष्पादन के आधार पर वायदा संविदाओं **की बुकिंग-**

……..को रिपोर्ट

बैंक का नाम-

(अमेरिकी डॉलर में)

महीने के दौरान स्वीकृत कुल सीमाएं	संचयी स्वीकृत सीमाएं	बुक किए गए संविदाओं की राशि	उपयोग की गई राशि (दस्तावेजों की डिलीवरी द्वारा)	रद्द किए गए वायदा संविदाओं की राशि
1	2	3	4	5

नोट:

1. समग्र रूप से बैंक की स्थिति को इंगित किया जाएगा।

2. कॉलम 2, 3, 4 और 5 में राशि वर्ष में संचयी पॉजिशन होनी चाहिए। प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में बकाया राशि को आगे लिया जाएगा और अगले वर्ष की सीमा में ध्यान में लिया जाएगा और इसलिए अगले वर्ष के लिए पात्र सीमाओं की गणना करते समय शामिल किया जाएगा (पैरा ए 2 ए)।